भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4554

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

4554. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः

श्री मारगनी भरतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्भया योजना के अन्तर्गत आबंटित निधि का ईष्टतम उपयोग नहीं किया गया है और कुछ राज्य सरकारों ने इसका उपयोग नहीं किया है तथा यदि हां, तो उक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राज्यों को आबंटित निधि स्वीकृत निधि और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत निधि के ईष्टतम उपयोग हेतु राज्य सरकारों से आग्रह करने के लिए कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों और उनके आश्रित परिवारों को मुआवजे के भुगतान हेतु मानदंड/ दिशा-निर्देशों में छूट देने के लिए कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां तो गत पाचं वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त कितने मामले दर्ज किए गए हैं, मुआवजे का भगुतान किया गया है विचाराधीन हैं और अस्वीकृत हुए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : निर्भया निधि अवसंरचना में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए समाप्त न होने वाली कारपस निधि की व्यवस्था की गई है जिसका प्रशासन भारत सरकार के वित मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इसमें इस ढांचे के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा अध्यक्षित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की व्यवस्था की गई है । इसमें संबंधित मंत्रालय/विभाग के लिए निर्भया ढांचे के अंतर्गत इन प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए पदनामित सक्षम वित्तीय प्राधिकरण तथा आर्थिक कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस ढांचे के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय कोष में धन जमा करने तथा निकालने के लिए नोडल मंत्रालय है और महिला एंव बाल विकास मंत्रालय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से मंजूर की गई परियोजनाआं/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए बजट का आवंटन अनुदान मांगी या अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बजट में किए जाते हैं ।

इसलिए, निर्भया ढांचा दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकार प्राप्त समिति और महिला एवं बाल किवास मंत्रालय महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुधारने के लिए निर्भया निधि के उचित और तीव्र उपयोग को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से मंजूर परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस ढांचे के अनुसार निगरानी और सूचना तंत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्तर पर अनिवार्य बनाया गया है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकित की गई परियोजनाएं इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लघु कार्य अवधियों के साथ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से यथा-प्राप्त, निर्भया निधि के अन्तर्गत् पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निधि आवंटन और उपयोग का राज्य/संघ राज्यवार ब्योरा अनुलग्नक में निर्दिष्ट है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) को निर्भया निधि के फ्रेमवर्क के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पीड़ित मुआवजा स्कीम के लिए मदद हेतु वित्त-पोषित किया गया है । ईसी द्वारा मूल्यांकित परियोजना की कुल लागत 200.00 करोड़ रूपए है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टॉप-अप फंड्स का सीवीसीएफ एक-बारगी अनुदान है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां वर्ष 2016-17 में निर्मुक्त की गई थीं । लिहाजा, केन्द्र सरकार के स्तर पर अगली कोई गतिविधि शेष नहीं रह जाती । इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों/संघ राज्यों को निदेश दिया था कि वे अपनी-अपनी पीड़ित मुआवजा स्कीम को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुरूप संशोधित करें ।

'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत् राज्य के विषय हैं, अतः राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों को दर्ज़ करने तथा उनकी जांच-पड़ताल करने और पीड़ितों को आर्थिक सहायता/मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं । पीड़ितों की संख्या और उनके निर्भर परिवारों, जिन्हें मुआवजा दिया गया है, का केन्द्र स्तर पर कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है ।

*****

अनुलग्नक

निर्भया स्कीम के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंबटित (जारी निधियां) निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय द्वारा निर्भया स्कीम के अंतर्गत की गई परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित (जारी निधियां) निधियां

1. आपातकालीन प्रत्युत्तर सपोर्ट प्रणाली (ईआरएसएस)

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (जारी की गई निधियां)					प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	980.50	0.00	0.00	667.12
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	539.32	0.00	0.00	204.03
3	असम	0.00	0.00	793.93	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	1229.60	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	743.31	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	532.41	0.00	0.00	221.00
7	गुजरात	0.00	0.00	1187.41	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	868.5	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	471.83	0.00	0.00	128.24
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	324.58
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	937.89	0.00	0.00
12	कर्नाटक	0.00	0.00	948.71	0.00	0.00	530.00
13	केरल	0.00	0.00	733.27	0.00	0.00	337.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1418.71	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	1284.66	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	438.09	0.00	0.00	389.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	487.86	0.00	0.00	209.84
20	ओडिशा	0.00	0.00	948.71	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	928.48	0.00	0.00	300.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	1013.03	0.00	0.00	1011.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	428.33	0.00	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	957.15	0.00	0.00	25.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	965.58	0.00	0.00	600.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	438.09	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	662.29	0.00	0.00	407.87
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	878.05	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	314.58	0.00	0.00	147.05
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	401.52	0.00	0.00	198.49
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	158.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	296.71	0.00
36	पुडुचेरी	0.00	0.00	323.41	0.00	0.00	98.16

2. आठ शहरों में सुरक्षित नगर परियोजना

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (जारी की गई निधियां)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	5155.00
2	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	16726.00
3	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	8747.00
4	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	8314.00
5	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	16937.00
6	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	6289.00
7	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	4757.00
8	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	6467.00

उपयोगिता प्रमाण पत्र देय नहीं है

3. 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़िकरण

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (जारी की गई निधियां)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
2.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	173.50
3.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00
4.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.00
5.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50
6.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50
7.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00
8.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
12.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00

उपयोगिता प्रमाण पत्र देय नहीं है

4. केंद्रीय पीड़ित प्रतिपूर्ति कोष (सीबीसीएफ)

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.		आबंटन (जारी की गई निधियां)					प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	146.89
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	305.06
4	बिहार	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	697.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	118.50
8	हरियाणा	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	375.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	16.30
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	405.33
12	कर्नाटक	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	550.00
13	केरल	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	483.50
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	1765.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	43.68
19	नागालैंड	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20	ओडिशा	0.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	1545.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	2810.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	124.54
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	20.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	62.34
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	30.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00

टिप्पणी: संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित प्रतिपूर्ति स्कीमों के सहयोग और अनुपूरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीवीसीएफ एक-मुश्त अनुदान के रूप में दिया गया है। इस कोष से व्यय की अनुमति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिर्फ उसी स्थिति में होगी जब वे अपने गैर-बजटीय संसाधनो का उपयोग कर लेंगे।

5. दिल्ली पुलिस द्वारा परियोजनाएं

(क) दिल्ली में जिला तथा उप-प्रभागीय पुलिस थाने के स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शकों की सुविधा उपलब्ध करानी

(ख) महिला और बालकों के लिए विशेष यूनिटों के लिए महिला केंद्रित सुविधाएं के साथ नानकपुरा, दिल्ली में उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एसपीयूएनईआर) और एसपीयूडब्ल्यूएसी के लिए नया भवन

(ग) दिल्ली पुलिस के अंतर्गत महिला सुरक्षा स्कीम के तहत विविध गतिविधियां

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.		आबंटन					व्यय
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	दिल्ली	300.00	340.00	340.00	2890.00	1975.00	2061.00

दिल्ली पुलिस से संबंधित निर्भया फंड के तहत वित्तपोषित महिला सुरक्षा स्कीम के संबंध में बजटीय विवरण

(रुपए करोड़ में)

2017-18			2018-19			2019-20 (30.6.2019 तक)		
बजट आबंटन	व्यय	अप्रयुक्त निधियां	बजट आबंटन	व्यय	अप्रयुक्त निधियां	बजट आबंटन	व्यय	शेष निधियां
28.90	6.72	22.18	19.75	6.27	13.48	11.09	0.43*	10.15

*51 लाख रुपए के बिल प्रक्रियाधीन हैं

6. महिलाओं तथा बच्चों के लिए (सीसीपीडब्ल्यूसी) के विरूद्ध साइबर अपराध रोकथाम

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (जारी की गई निधियां)						प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	442.50	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	418.70	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	60.30	0.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	259.10	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	253.37	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	3.55	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	169.80	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	446.10	0.00	0.00	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	458.40	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	162.75	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	162.75	0.00	0.00	0.00
20	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	261.82	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	254.52	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	441.07	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	433.95	0.00	0.00	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	470.85	0.00	0.00	0.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	165.98	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	431.75	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.75	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.75	0.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00	251.12	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	148.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	162.75	0.00	0.00	0.00

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

1. वन स्टॉप सेंटर स्कीम

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	उपयोगिता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.19	--	31.21	36.88	15.00	44.4
2	आंध्र प्रदेश	13.19	268.97	330.14	390.63	165.05	612.3
3	अरुणाचल प्रदेश	13.19	28.41	53.20	782.02	105.03	94.8
4	असम	38.84	75.65	--	786.95	300.09	200.11
5	बिहार	13.19	198.90	--	308.32	390.12	0
6	चंडीगढ़	13.19	--	--	9.31	15.00	13.19
7	छत्तीसगढ़	48.30	734.27	167.04	662.44	405.12	905.94
8	दादरा एवं नागर हवेली	43.37	--	43.41	0.50	0	0
9	दमन और दीव	45.88	--	0.00	0	0	1
10	गोवा	45.88	19.41	10.85	4.92	15.00	19.04
11	गुजरात	45.88	38.82	127.15	562.70	150.05	46.95
12	हरियाणा	36.41	116.48	38.30	479.61	270.08	159.29
13	हिमाचल प्रदेश	37.68	--	15.00	101.19	15.00	52.69
14	जम्मू और कश्मीर	45.88	95.65	87.52	150.20	0	0
15	झारखंड	10.26	56.82	18.47	704.37	285.09	67.09
16	कर्नाटक	45.88	85.24	62.74	594.44	300.09	43.34
17	केरल	45.08	113.65	11.80	283.32	15.00	41
18	मध्य प्रदेश	45.88	773.04	131.27	1123.91	630.19	950.19
19	महाराष्ट्र	45.88	213.55	437.69	389.29	360.11	0
20	मणिपुर	12.89	--	--	357.22	0	0
21	मेघालय	13.19	28.41	7.75	186.40	150.05	41.6
22	मिजोरम	37.68	--	61.41	272.65	15.00	99.1
23	नागालैंड	45.88	55.41	80.41	454.87	30.09	193.39
24	ओडिशा	10.28	15.00	120.33	774.60	78.70	145.61
25	पुडुचेरी	37.00	--	19.41	47.67	0	0
26	पंजाब	43.82	97.07	335.87	526.33	135.04	27.43
27	राजस्थान	12.12	346.24	28.96	308.60	285.09	353.35
28	सिक्किम	45.88	--	30.17	39.23	0	76.59
29	तमिलनाडु	45.88	--	38.83	1139.95	447.98	45.88
30	तेलंगाना	45.88	155.31	301.72	589.49	120.04	116.31
31	त्रिपुरा	45.88	--	--	269.01	60.02	45.88
32	उत्तर प्रदेश	45.88	454.63	266.22	2228.30	1020.31	380.29
33	उत्तराखंड	13.19	58.24	138.86	272.25	60.02	210.29

2. महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष					
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	उपयोगिता
1	अंडमान और निकोबार	17.00	0	0	50.95	34.08	0.13
2	आंध्र प्रदेश	51.58	0	0	60.60	34.08	106.5
3	अरुणाचल प्रदेश	49.70	0	59.50	81.36	34.08	169.2
4	असम	34.54	0	0	16.12	22.72	16.58
5	बिहार	62.70	0	38.07	54.94	46.50	133.1
6	चंडीगढ़	17.00	0	89.15	58.93	34.08	188.4
7	छत्तीसगढ़	51.58	37.91	63.64	85.35	34.08	166.5
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	17.00	0	34.08	0	34.08	3.64
10	गोवा	27.90	0	0	0	0	0
11	गुजरात	62.70	0	178.80	89.40	46.50	270.2
12	हरियाणा	51.58	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	49.70	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	51.58	0	0	33.82	34.08	51.33
15	झारखंड	34.54	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	62.70	0	0	0	0	0
17	केरल	51.58	0	21.64	67.65	34.08	72.71
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	62.70	0	0	0	0	0
20	महाराष्ट्र	62.70	0	0	0	0	0
21	मणिपुर	49.70	0	0	0	0	0
22	मेघालय	49.70	0	0	32.70	34.08	49.7
23	मिजोरम	51.08	0	85.20	85.20	34.08	187.5
24	नागालैंड	49.70	29.11	76.33	68.16	34.08	177.2
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	49.78	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	28.86	0	30.16	98.65	34.08	140.6
27	पुडुचेरी	0	0	0	51.08	0	0
28	पंजाब	28.86	0	0	27.19	34.08	21.97
29	राजस्थान	62.70	0	0	0		0
30	सिक्किम	47.25	0	0	33.81	34.08	46.99
31	तमिलनाडु	62.70	0	0	46.50	46.50	62.7
32	तेलंगाना	28.86	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	49.70	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	62.70	0	40.11	88.54	46.50	0
35	उत्तराखंड	43.10	0	46.79	57.61	34.08	75.51
36	पश्चिम बंगाल	62.70	0	0	0	0	0

3. महिला पुलिस वॉलिंटियर

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	उपयोगिता
1	आंध्र प्रदेश	75.82	0	445.57	0	75.82
2	छत्तीसगढ़	0	715.55	0	0	0
3	गुजरात	0	76.20	0	0	7.64
4	हरियाणा	129.19	0	0	0	88.45
5	कर्नाटक	0	56.13	0	0	0
6	मध्य प्रदेश	0	30.18	0	0	0
7	मिजोरम	0	35.85	0	0	0
8	झारखंड	0	0	2.64	0	0

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि					उपयोगिता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	104.70	0.00	0.00
2	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	255.60	0.00	0.00
3	राजस्थान	0.00	0.00	23.04	253.44	194.49	108.89
4	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00

******